



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-276

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 286632 दिनांक 10/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Geeta Devi W/o Jagram Meena	श्री फैलीराम एवं श्री हनुमान सहाय पुत्रान् स्वं श्री श्योराम	9/AD/145	50.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block- A	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 9/ए.डी./45 क्षेत्रफल 50.00 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक डी-12350 दिनांक 07.08.2024 एवं नाम हस्तान्तरण पत्र डी-7366 दिनांक 07.08.2024 को श्री फैलीराम एवं श्री हनुमान सहाय पुत्रान् स्वं श्री श्योराम के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2024 को श्री फैलीराम एवं श्री हनुमान सहाय पुत्रान् स्वं श्री श्योराम के द्वारा श्रीमती माया मीना पत्नि श्री लालाराम मीना के





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

के कारण  
सार्वजनिक  
विज्ञप्ति का  
प्रकाशन करवाया  
जाना अपेक्षित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Geeta Devi W/o Jagram Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |